अनुसूची 14 — फारम सं0 563

आदेश का क्रम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

. 1

06 26.05.2023	न्यायालय, उपायुक्त — सह — जिला दण्डाधिकारी, रॉची सी0 सी0 ए0 वाद सं0 — 38 /2023 राज्य बनाम धीरज कुमार उर्फ धीरज, पिता श्याम जालान, निवासी —हरमू रोड गाडीखाना शनि मंदिर के पास, थाना— सुखदेवनगर, जिला—रांची (झारखण्ड) ....विपक्षी आदेश वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 273/डी०सी०बी० दिनांक 14.03.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी धीरज कुमार उर्फ धीरज, पिता श्याम जालान, निवासी —हरमू रोड गाडीखाना शनि मंदिर के पास, थाना— सुखदेवनगर, जिला—रांची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा—3(1)(a), 3(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित है:— 1. सुखदेवनगर थाना कांड सं०—271/17, दि०— 01.06.2017 धारा 379 भा०द०वि० 2. सुखदेवनगर थाना कांड सं०— 552/19, दि० 14.10.2019, धारा 25(1—बी)ए०/26/35 आर्म्स एक्ट 3. सुखदेवनगर थाना सन्हा सं0— 27/23, दि०— 19.02.2023 4. सुखदेवनगर थाना सन्हा स०— 22/23, दि०— 20.02.2023 वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली राँची के कार्यालय का ज्ञापांक— 427/उपा० दिनांक— 23.02.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि कुख्यात एवं सकिय अपराधकर्मी धीरज कुमार उर्फ धीरज, पिता श्याम जालान, निवासी —हरमू रोड गाडीखाना शनि मंदिर के पास, थाना— सुखदेवनगर, जिला—रांची जो वर्तमान में जेल से बाहर है। ये	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम ंख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कारवाई के ब टिप्पणी, तारीख साथ।
1	2	3

अपने तथा अपने सहयोगियों के साथ आये दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। ये तथा इनके गुर्गों द्वारा आये दिन कही न कही आपराधिक घटनाओं को अजाम दिया जा रहा है। इनके तथा इनके सहयोगियों के द्वारा राँची तथा आस पास के इलाको में घुम–घूम कर बंद गाड़ी से समान की चोरी की जा रही है। ये एक पेशेवर अपराधी है। इनके विरुद्ध कई कांड एव सन्हा दर्ज है। इनकी अपराधिक गतिविधि से आम जनता के बीच भय का वातावरण है जिससे समाज में अशांति है। इनके अपराधिक गतिविधि से आम जनता के बीच भय का वातावरण है, जिससे समाज में अशांति है। इनकी आपराधिक गतिविधि से आम जनता के बीच आतक, भय एवं दहशत का माहौल व्याप्त है, जिस कारण से लोक शांति एवं विधि–व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ये हाल में ही जेल से जमानत पर मुक्त हुए है, जिससे लोक व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ सकता है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा – धारा–3(1)(a), 3 (b)(1) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

परन्तु विपक्षी को निर्गत नाटिस का तामिला अप्राप्त है। वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉची से प्राप्त प्रस्ताव एवं अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी एक कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी है। ये अपने सहयोगियों के साथ आये दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। ये तथा इनके गुर्गों द्वारा आये दिन कही न कही आपराधिक घटनाओं को अजाम दिया जा रहा है, जिससे लोक व्यवस्था प्रभावित एवं लोक परिशांति भंग हुई थी, जो इनके सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योंतक है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुंण रखने के निमित अपराधकर्मी धीरज कुमार उर्फ धीरज, पिता श्याम जालान, निवासी –हरमू रोड गाडीखाना शनि मंदिर के पास, थाना– सुखदेवनगर, जिला–रांची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी धीरज कुमार उर्फ धीरज, पिता श्याम जालान, निवासी –हरमू रोड

आदेश का क्रम और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

गाडीखाना शनि मंदिर के पास, थाना— सुखदेवनगर, जिला—रांची को दिनांक 10.06.2023 से दिनांक 09.09.2023 तक की अवधि के लिए सुखदेवनगर थाना, राँची में प्रत्येक रविवार को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा— 7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0 10,000/—का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 09.06.2023 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 10.06.2023 से दिनांक 09.09.2023 तक प्रत्येक रविवार सुखदेवनगर थाना, राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा— 7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी धीरज कुमार उर्फ धीरज, पिता श्याम जालान, निवासी —हरमू रोड गाडीखाना शनि मंदिर के पास, थाना— सुखदेवनगर, जिला—रांची अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति धीरज कुमार उर्फ धीरज, पिता श्याम जालान, निवासी —हरमू रोड गाडीखाना शनि मंदिर के पास, थाना— सुखदेवनगर, जिला—रांची (झारखण्ड) तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

जिला दण्डाधिकारी
राँची

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी
राँची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.25 21:08:48 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:cd9:605:3f57:d4b9